...से सेक्टर

25.5.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान
केम्प-आमलीकरा में पेश हुई। पार्टी मं.
वे प्रतिवादी नं. 5 उपस्थित। पक्षकारों में
निर्णय समझौते से किया। आदेश
शामिल पत्रावली किया गया।
तहसील कोटड़ा शुमार होकर दर्ज नम्बर
से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
...गढ़ (राज.)

राठौड़

प्रस्तुतकार

प्रकरण संख्या 14/17

1. श्रीशंकर पिता रामचन्द्र कुमावत निवासी काबरा तहसील हमीरगढ
2. श्रीमती श्रृंगारी बेवा रामचन्द्र कुमावत निवासी काबरा तहसील हमीरगढ —प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र बरदा कुमावत निवासी काबरा तहसील हनीरगढ
2. कैलाश पुत्र बरदा कुमावत निवासी काबरा तहसील हमीरगढ
3. राधा पुत्री बरदा कुमावत निवासी काबरा तहसील हमीरगढ
4. कानी पुत्री बरदा कुमावत निवासी काबरा तहसील हमीरगढ
5. प्रभु पुत्र काना कुमावत निवासी काबरा तहसील हमीरगढ
6. कालु पुत्र काना कुमावत निवासी काबरा तहसील हमीरगढ
7. भगवान पुत्र काना कुमावत निवासी काबरा तहसील हमीरगढ
8. गोरधन पुत्र गोकल कुमावत निवासी काबरा तहसील हमीरगढ
9. हजारी पुत्र गोकल कुमावत निवासी काबरा तहसील हमीरगढ
10. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार हमीरगढ —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू.—राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 15.05.2017

प्रार्थी की और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू.—राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 10.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम काबरा पटवार मण्डल आमलीगढ तहसील हमीरगढ मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 कुल किता 8 कुल रकबा 7—03 बीघा भूमि स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है । प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है । इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है । आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 10.03.2017 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 09 बावजूद विधियत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने क उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण क अवलोकन से यह बात है कि प्रार्थी का स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील भीलवाडा ग्राम काबरा पटवार क्षैत्र आमलीगढ मे स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि आराजी न0 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 कुल किता 8 कुल रकबा 7—03 बीघा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम 1956 के प्रावधानो मे निर्धारित प्रकिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 800 /—रू0 अक्षरे आठ सौ रूपये पक्षकार — प्रार्थी राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/— रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें ।

आदेश आज दिनांक 15.05.2017 को खुला न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें ।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ